दिनांक 27.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 33/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

तीन नये आपराधिक कानूनो पर मीडिया बन्धुओ के साथ वार्तालाप/कार्यशाला का आयोजन

आज दिनांक 27.06.2024 को सायं पुलिस मुख्यालय (सिग्नेचर बिल्डिंग) गोमती नगर विस्तार लखनऊ के तृतीय टॉवर भूतल स्थित गोंड रानी वीरांगना दुर्गावती लाउंज में "Vartalap : An interaction with media to sensitize them on three new criminal laws" का आयोजन किया गया है।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ एंव अपर महानिदेशक पीआईबी द्वारा स्मृति चिन्ह भेट कर स्वागत किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा अपने उदबोधन में कहा किः–

जैसा कि आप सभी विदित है कि ब्रिटिश कालीन के जो हमारे तीनो कानून थे उनकी जगह तीन नये कानून संसद द्वारा पास किये गये है जिनको हम लोग भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी का काउण्टर पार्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी का काउण्टर पार्ट है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेन्स एक्ट का काउण्टर पार्ट है उसको पास किया है। नये कानून को पास करने की मूल भावना यह है कि तकनीक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करके डिस्क्रेशन को कम करना है चाहे वह विवेचक का हो या किसी भी इस पूरे क्षेत्र से जुडे व्यक्ति का हो, उसे कम करना है, किसी भी स्थित में वादी का उत्पीडन न हो तथा कोई भी निर्दोष व्यक्ति को दण्ड न मिले, इसके लिए अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग किया जाये। एक समयबद्ध तरीके से इस सभी चीजो का विचारण हो, फॉरेन्सिक साक्ष्यों का अधिक से अधिक उपयोग करया जाये और यह सुनिश्चित कराया जाये कि ज्यादा से ज्यादा निष्कर्ष पर पहुँचने की प्रक्रिया तकनीक पर आधारित हो। साथ ही साथ नये आपराधिक

कानून में वादी को विवेचना के प्रगति की सूचना देना अनिवार्य है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के वर्टिकल्स को इन सभी चीजो का पूरा ज्ञान होना बहुत बड़ा टास्क था। हमारे सभी विभागो जिसमें प्रशिक्षण विभाग, तकनीकी सेवाएं, जेल, प्रासीक्यूसन इन सभी में जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया थी, वह बहुत ही अनुकरणीय एवं प्रशान्सनीय है।

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने विश्व के सबसे बड़े पुलिस संगठन को प्रशिक्षण देने का महती कार्य किया है। 30 जून तक विभिन्न रैंक के पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त तकनीकी विभाग, अभियोजन, नियम एवं ग्रंथ, पुलिस मुख्यालय की टीम ने इस कानून को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उ०प्र० ने प्रशिक्षण के लिये सभी संसाधनों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया है। संगठित अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से "विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू की गयी है जिससे गवाह निर्भीक होकर गवाही दे सके। वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से गवाही करायी जायेगी इससे त्वरित एवं समयबद्ध न्याय प्रणाली विकसित होगी। नये कानून में फारेंसिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य को अनिवार्य किया गया है इस दिशा में विवेचकों को प्रशिक्षण दिया गया है। साक्ष्य अधिनियम में डिजिटल साक्ष्य को ग्राह्य बनाया गया है।

एनआईसी द्वारा ई–साक्ष्य एप निर्मित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से घटनास्थल की वीडियोग्राफी की जा सकेगी व डिजीलॉकर में सुरक्षित किया जा सकता है जिससे उसकी हैश वैल्यू बनी रहेगी और न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश करने में किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी बाधा उत्पन्न नहीं हो पायेगी। इस दिशा में विवेचकों हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसओपी निर्गत किया गया है। जनसामान्य को नये कानून की जानकारी दिये जाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया सेल द्वारा एक्स (ट्वीटर) पर प्रतिदिन नये कानून का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा नये कानून से सम्बन्धित 29 संक्षिप्त प्रशिक्षण वीडियो बनाये गये हैं जिसे एलएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है एवं सभी जनपदों को गूगल ड्राइव के माध्यम से लिंक उपलब्ध कराया गया है। सभी पुलिस थानों एवं कार्यालयों पर नये कानून से सम्बन्धित वॉल पोस्टर चस्पा किये जा रहे हैं। नये कानून से सम्बन्धित पॉकेट बुक व पैम्फलेट तैयार किया गया है एवं थानों को उपलब्ध कराया गया है।

तीन नये कानून लागू करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उ०प्र० पुलिस आमजन की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। कानून के मूल उद्देश्य के संदेश को आमजन तक पहुंचाने में सहयोग करेगी। इस कार्य में मीडियाबंधु की महत्वपूर्ण भूमिका है एवं आपसे इस दिशा में पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।

वार्तालाप कार्यक्रम में अधिक संख्या में पत्रकार बन्धु द्वारा प्रतिभाग किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण द्वारा पत्रकार बन्धुओ को नये आपराधिक कानूनो के सम्बन्ध में आधारभूत जानकारी प्रदान की गयी।

उक्त कार्यक्रम का आयोजन Press Information Bureau (PIB) द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहें।

'वार्तालाप'
तारीख: 2

गृह मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
उत्तर प्रदेश पुलिस
तीन नए आपराधिक क़ानूनों
पर
'वार्तालाप'
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023
श्री प्रशांत कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०
तारीख: 27 जून, 2024
लखनऊ
समय:

WELCOME

दिनांक 27.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 34/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 03 लाख रूपये नगद**
- **लूट की 01 दो पहिया वाहन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 26.06.2024 को थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मखियाली चेक पोस्ट के पास से 03 अभियुक्तों 1–तनिष्क 2–सुमित 3–अभिषेक को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 03 लाख रूपये नगद, लूट की 01 दो पहिया वाहन, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.06.2024 को थाना नई मण्डी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, दो पहिया वाहन उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–तनिष्क निवासी ग्राम अलमासपुर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

2–सुमित निवासी कासमपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

3–अभिषेक निवासी रोहटा रोड तेज विहार थाना कंकर खेडा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लूट के 03 लाख रूपये नगद।

2–लूट की 01 दो पहिया वाहन।

3–घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा–02

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 05 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27.06.2024 को थाना बीटा–02 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनआरआई कट गन्दे नाले के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शुहेब घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–फजल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 05 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–02 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शुहेब निवासी सराय झांझर थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर।

2–फजल निवासी कस्बा व थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–लूटे गये 05 मोबाइल फोन।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हरदोई/थाना शाहाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 27.06.2024 को थाना शाहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आगमपुर तिराहा के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त शाहरूख को घायल/गिरफ्तार किया गया। अन्य दो अभियुक्त मौके से फरार हो गये। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना शाहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शाहरूख निवासी सीपुर पचौर थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद अलीगढ़/थाना सिविल लाइन

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 कुन्तल 30 किलोग्राम विद्युत तार**
- **घटना में प्रयुक्त 01 तीन पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 27.06.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मन्नत तिराहा के पास से 05 अभियुक्तों 1–आमिर 2–वसीम 3–साजिद 4–पवन

5–दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 कुन्तल 30 किलोग्राम विद्युत तार, घटना में प्रयुक्त 01 तीन पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आमिर निवासी कस्बा व थाना जवॉ जनपद अलीगढ़।

2–वसीम निवासी हमदर्द नगर बी जमालपुर थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़।

3–साजिद निवासी मोहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना जवां जनपद अलीगढ़।

4–पवन निवासी लोहरा थाना जवां जनपद अलीगढ़।

5–दीपक निवासी डाकखाने के पास थाना जवां जनपद अलीगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1– चोरी के 02 कुन्तल 30 किलोग्राम विद्युत तार।

2–घटना में प्रयुक्त 01 तीन पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना अमरोहा नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अरविन्द को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना लोनार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना लोनार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत

अभियुक्त 1–विनीत 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना मझगवां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय हमीरपुर द्वारा थाना मझगवां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त उमेश उर्फ पप्पू को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना कोतवाली भिनगा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना कोतवाली भिनगा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 436 भादवि सपठित धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 3(2)(4) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामशंकर उर्फ गुटई 2–विश्वनाथ को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली फर्रूखाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना कोतवाली फर्रूखाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त लालू प्रसाद उर्फ विमल प्रताप को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना सोनहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 12–12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना सोनहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 326ए सपठित धारा 34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राकेश 2–सराफतुल्लाह को 12–12 वर्ष के सश्रम कारावास व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कृष्ण को 07 वर्ष के कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———–